

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 69 / 11-सी- FP/UP/TRANS/41685/2019, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 05, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:-

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 के०वी० आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाइन हेतु जनपद अलीगढ़ में प्रभावित 0.5464 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों का पातन, जनपद हाथरस में प्रभावित 1.7094 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 28 वृक्षों का पातन, जनपद एटा में प्रभावित 0.2243 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों का पातन, जनपद फिरोजाबाद में प्रभावित 1.1315 हे० आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों का पातन, जनपद आगरा में प्रभावित 0.4996 हे० आरक्षित/संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्षों के पातन, जनपद बुलन्दशहर में प्रभावित 0.1912 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 4.3024 हे० आरक्षित/संरक्षित वनभूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 115 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं०- FP/UP/TRANS/41685/2019)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०४/६२/२०२०/एफ०सी०/७०४, दिनांक-३०.०६.२०२०

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-3309/14-1 दिनांक 31.05.2022 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की

भवदीय,

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 69 / 11-सी- FP/UP/TRANS/41685/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, आगरा, अलीगढ़ एवं मेरठ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, हाथरस एवं गौतमबुद्ध नगर।
3. अधिकृत प्रतिनिधि, घाटमपुर ट्रांसमिशन लि० 644 एवं 644 ए, लखनपुर, कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर।

o/c

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।